

## मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977

[ "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) क्र. 14770 (1) 4-26-77-पी.ए.-77/2/21-अ, दिनांक 31 मार्च, 1977 में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी 1980 तथा अधिसूचना क्र. 1385, दिनांक 3 जुलाई, 1996 द्वारा संशोधित ] (17) क्र. 47  
दिनांक 11 जनवरी, 2000.

1. ये नियम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य/पेंशन नियम, 1977 कहलायेंगे।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973);

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

[(ग) "सचिव" से अभिप्रेत है सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा और उसके अन्तर्गत आता है विधान सभा का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो अध्यक्ष द्वारा उन नियमों के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत किया गया हो.]

3. प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिये हकदार हो सचिव को प्ररूप "क" में आवेदन करेगा. आवेदन पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ की तीन प्रतियां तथा तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिग्नेचर) संलग्न किये जायेंगे।

4. (1) सचिव, आवेदन पत्र को अन्तर्वस्तु को सत्यापित करेगा या सत्यापित करवायेगा और उसका यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार है, पेंशन मंजूर करते हुए एक आदेश जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा:—

(क) अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति का नाम;

(ख) पेंशन की रकम;

(ग) वह तारीख जिससे ऐसा व्यक्ति पेंशन के लिये हकदार होगा;

(घ) वह खजाना जिसके माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

(2) पेंशन मंजूर करने के आदेश की एक प्रति महालेखापाल-एक, मध्यप्रदेश को अग्रेषित की जायगी।

5. मंजूरी आदेश प्राप्त होने पर महालेखाकार, मध्यप्रदेश उस खजाने के, जिसके माध्यम से पेंशन संवितरित की जानी हो खजाना अधिकारी को प्ररूप "ख" में पेंशन भुगतान आदेश, आवेदक को सूचना देते हुए जारी करेगा।

6. पेंशन भोगी अपनी पेंशन लेने के लिये या तो स्वयं या किसी अभिकर्ता या संदेशवाहक के माध्यम से प्ररूप "ग" में एक देयक खजाना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा. पेंशन स्वयं प्राप्त करने के सिवाय खजाने द्वारा पेंशन का भुगतान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप "घ" में जारी किया गया जीवन प्रमाण-पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) पेश करने के अध्याधीन रहते हुए किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण.**—इस नियम के प्रयोजन के लिये "सक्षम प्राधिकारी" कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई प्रथम वर्ग अधिकारी या संसद अथवा मध्यप्रदेश विधान सभा का कोई आसीन सदस्य या मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड जिल्द एक के नियम 363 में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी होगा।

7. प्रथम पेंशन देयक और तत्पश्चात् मई तथा नवम्बर मासों के प्रत्येक पेंशन देयक के साथ प्ररूप "ड" में एक घोषणा पत्र संलग्न होगी।

8. अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (2) के अधीन पेंशन प्राप्त करने के लिये पेंशनभोगी को निरहित करने वाली किसी घटना के घटित होने पर, पेंशनभोगी सचिव को, महालेखापाल को जिसने पेंशन भुगतान आदेश जारी किया है तथा संबंधित खजाना अधिकारी को घटना की सूचना तत्काल देगा।

1. मध्य राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6-2-80 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 3830-एक-4-80 (सं. का.)-इकोस-अ, दिनांक 4-2-80 द्वारा संशोधित।

\* अधिसूचना क्रमांक 47-एक(2) 3-अइलाजिस-98-(संका) दिनांक 11 जनवरी, 2000  
द्वारा संशोधित।

प्ररूप "क"  
(नियम 3 देखिये)

पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

(मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-क देखिये)

(अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा).

प्रेषक :

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

प्रति,

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.

विषय.—मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन पेंशन की मंजूरी.

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा 6-क के शब्दों में निम्नलिखित कालावधियों के संबंध में, जिनमें मैंने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया है, पेंशन के लिये हकदार हूँ.

निर्वाचन क्षेत्र का नाम  
तथा क्रमांक

से

तक

- (एक) .....
- (दो) .....
- (तीन) .....
- (चार) .....

2. निवेदन है कि मुझे पेंशन मंजूर करने के लिये कृपया कार्यवाही करें, मैं अपनी पेंशन सरकारी खजाना ..... से लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ.

3. मैं प्रथम दर्ग मजिस्ट्रेट/केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी/संसद या मध्यप्रदेश विधान सभा के आसीन सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेजों इसके साथ संलग्न करता हूँ/करती हूँ:—

(एक) तीन आदर्श हस्ताक्षर.

(दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटोग्राफ की तीन प्रतियां.

4. मेरा वर्तमान पता .....

मेरा स्थायी पता .....



5. मं, एतद्द्वारा घोषणा करता है/करती है कि:-

(एक) मं, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को पर या किसी राज्य के राज्यपाल को पर या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक

का पर धारण नहीं करता है/नहीं करती है।

(दो) मं, राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य को या किसी संघ राज्य क्षेत्र को किसी विधान सभा या किसी राज्य को किसी विधान परिषद या दिल्ली महानगर परिषद का/को सदस्य नहीं है।  
विधान परिषद या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 मं 1966) की धारा 3 के अधीन गठित की गई दिल्ली महानगर परिषद का/को सदस्य नहीं है।

(तीन) मं, केन्द्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या किसी ऐसे विधान सभा पर केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार को स्वायत्त या नियंत्रण है, के या किसी स्थानिय प्राधिकारों के अधीन वंश पर नियंत्रित नहीं है या ऐसी सरकार या विधान या स्थानिय प्राधिकारों से कोई प्राधिकार प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार नहीं है।

[(चार) \*\* \*\* \*\* \*\*]

(पांच) मं, ..... का पर धारण करता है/करती है या मं ..... का/को सदस्य है या मं ..... के रूप में/नियंत्रित है।

और ऐसी पर के धारक के रूप में या ऐसे सदस्य होते हुए या ऐसे नियोजन में होते हुए मं द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कुल प्राधिकारिक कर्म है।

(सष्ठम प्राधिकारों को एक प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय.)

(\*\* \*\* \*\*)

प्रदीप

गण बड़े अक्षरों में

स्थान

तारीख

4. मेरा वर्तमान पता  
मेरा न्यायी पता

5. मैं, एतद्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि उपयुक्त जानकारी मेरे वर्तमान ज्ञान तथा विश्वास में सत्य है.

न्याय :  
तारीख :

भवनाथ

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश  
लेखा शाखा

क्र. वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन

तारीख

2000

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी.आर. 1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिप्त.

उप सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

कार्यालय, महालेखाकार-1, मध्यप्रदेश

क्र.

तारीख

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... ने मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य के रूप में नीचे दी गई कालावधियों के लिए सेवा की थी,—

- (1) ..... से ..... तक  
(2) ..... से ..... तक  
(3) ..... से ..... तक

और उसकी मृत्यु हो जाने के कारण एवं ऊपर वर्णित को पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण पेंशन रु. .... प्रति मास उसके वारिस श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को अनुज्ञेय है.

लेखा अधिकारी

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

क्र. वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन

तारीख

2000

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को तारीख ..... से तारीख ..... रूपये ..... (रूपये ..... केवल) प्रति मास पेंशन मंजूर की जाती है। पेंशन ..... खजाना से देय होगी.

कार्यालय, लेखा अधिकारी (पी.आर. 1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, ग्वालियर को अ

सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारो .....  
 श्री/श्रीमती/कुमारो ..... (विधान सभा का पूर्व सदस्य) के पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, माता/पिता हैं.

तारीख .....

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
 तहसील .....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 बी. के. दास, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2000

क्र. 48-एक(2) 3-अड़तालीस-98 (सं.का.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 47-एक(2) 3-अड़तालीस-98 (सं.का.), दिनांक 11 जनवरी 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 बी. के. दास, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
लेखा शाखा

क्रमांक ..... लेखा

तारीख .....

महालेखाकार-एक, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित.

लेखा अधिकारी.

कार्यालय, महालेखापाल-एक, मध्यप्रदेश

क्रमांक .....

तारीख .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... ने  
मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में नीचे दी गई कालावधियों तक कार्य किया है.—

- (1) ..... से ..... तक  
(2) ..... से ..... तक  
(3) ..... से ..... तक

और यह कि उसे रुपये ..... प्रति मास की पेंशन अनुज्ञेय है.

लेखा अधिकारी.

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक .....

तारीख ..... 19

रुपये ..... (रुपये ..... केवल) प्रतिमास पेंशन .....  
श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को तारीख ..... से मंजूर की जाती है.

पेंशन ..... खजाना से देय होगी.

महालेखापाल-एक मध्यप्रदेश, ग्वालियर को अग्रेषित.

सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

**प्ररूप "ख"**  
(नियम 5 देखिये)  
**पेंशन भुगतान आदेश**  
**पेंशन भोगी का भाग**  
**संवितरक का भाग**

लेखा का शीर्ष : राज्य सरकार को विकलनीय :

मुख्य शीर्ष-266 पेंशन तथा सेवा निवृत्ति के अन्य फायदे  
मतदत्त : लघु शीर्ष विधायकों राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों को पेंशन.

पेंशन भोगी के फोटोग्राफ  
के लिए स्थान

1. पेंशन भोगी का नाम .....
2. निवास स्थान ग्राम तथा परगना दशांति हुए .....
3. पेंशन का वर्ग-मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, तथा भत्ता पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7, सन् 1973) के अधीन पेंशन.
4. मासिक पेंशन की रकम .....
- (रुपये . . . . . )
5. प्रारंभ होने की तारीख .....
6. भुगतान का कार्यालय तथा स्थान .....
- कार्यालय .....

पेंशन भोगी के हस्ताक्षर  
के लिए स्थान.

क्रमांक .....

तारीख ..... 199

आगामी सूचना तक तथा प्रत्येक मास की समाप्ति पर कृपया श्री ..... को रुपये ..... की राशि, जो कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 के अधीन पेंशन की रकम है, का भुगतान करें.

भुगतान ..... से प्रारंभ होगा.

(हस्ताक्षर) .....

(पदाभिधान) .....

[ टिप्पणी.—पेंशन भोगी द्वारा (उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र के अनुसार) प्राप्त की जाने वाली पारिश्रमिक की रकम यदि कोई हो, इस अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (2) के अनुसार उसकी पेंशन में से घटाई जाये.]

महालेखापाल के कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के प्रति

हस्ताक्षर .....

प्रति,

पेंशन के भुगतान को शासित करने वाली शर्तें

1. इस आदेश के अधीन पेंशन देय नहीं होगी जब तक कि पेंशन भोगी—

(एक) भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिये निर्वाचित है या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी/संघ राज्य क्षेत्र, के प्रशासक के पद पर नियुक्त है;

या

(दो) राज्य सभा का या लोक सभा का किसी राज्य की या किसी संघ राज्य क्षेत्र, की किसी विधान सभा का या किसी राज्य की किसी विधान परिषद् का या दिल्ली प्रशासन, अधिनियम, 1966 (क्रमांक 19 सन् 1966) की धारा 3 के अधीन गठित की गई दिल्ली, महानगर परिषद् का सदस्य है;

या

(तीन) केन्द्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम, जिस पर केन्द्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थायी प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित है या ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये अन्यथा हकदार हो जाता है:

परन्तु जहां ऐसा पद धारण करने के लिये या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार नियोजित होने के कारण प्राप्त किया जाने वाला वेतन या जहां शर्त (तीन) में निर्दिष्ट किया गया पारिश्रमिक, इस आदेश के अधीन देय पेंशन से कम हो, वहां पेंशन भोगी इस आदेश के अधीन के रूप में अतिशेष पाने का ही हकदार होगा.

[ 2. \*\* \*\* ]

“ 3. इस आदेश के अधीन पेन्शन का प्रथम भुगतान और प्रत्येक वर्ष मई तथा नवम्बर मासों के लिए पेन्शन के पश्चात्पूर्ति भुगतान, कोई पद धारण करने, नियोजन में होने के संबंध में पेन्शन भोगी द्वारा विहित प्ररूप में घोषणा पेश करने के अध्याधीन रहते हुये होंगे. इसके अतिरिक्त पेन्शनभोगी से यह अपेक्षा की जाती कि वह सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा को, महालेखापाल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (जिसने पेन्शन भुगतान आदेश जारी किया है) को तथा साथ ही पेन्शन, संवितरक अधिकारी को शर्त. 1 में यथानिर्दिष्ट अपने-अपने निर्वाचन, नियोजन के बारे में उस घटना के एक मास के भीतर सूचित करें.”]

4. खजाना/उप खजाना में इस आदेश के अधीन भुगतान इस आदेश के पेश करने पर तथा प्ररूप “ग” में देयक प्रस्तुत करने पर पेंशन भोगी को स्वयं किया जायेगा.

1. म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3 जुलाई, 1996 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 1385-फा-एक-(2) 57-अड़तालीस-90-(सं. का.) दिनांक 3 जुलाई, 1996 द्वारा विलोपित.

2. म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8 जुलाई, 1996 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 1385-फा-एक-(2) 57-अड़तालीस-90-(सं. का.) दिनांक 3 जुलाई, 1996 द्वारा स्थापित.

खजाना/उप खजाना में वैयक्तिक हाजिरी उस मामले में अभिलेखित की जा सकेगी जिसमें किसी पेंशन भोगी को शासन द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई हो या जो किसी संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान चाहता है और किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी द्वारा संसद/मध्यप्रदेश विधान सभा के किसी आसीन सदस्य द्वारा या मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड, जिल्द एक के नियम 363 में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण-पत्र (लाइफ सर्टीफिकेट) भेजता है. सिवाय उस दशा में जिसमें कि पेंशन स्वयं प्राप्त की जाय खजाना/उप खजाना द्वारा पेंशन का भुगतान जीवन प्रमाण-पत्र पेश करने के अध्यक्षीन रहते हुए किया जायेगा.

**टिप्पणी.—**(एक) पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाने पर यह आदेश उसके कुटुम्ब द्वारा पेंशन संवितरक अधिकारी को पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख की रिपोर्ट सहित तत्काल लौटा दिया जाय.

(दो) जीवनकाल का बकाया, यदि कोई हो, के लिये औपचारिक दावे जहां कहीं आवश्यक हो, वैध प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से समर्पित किये जाकर पेंशन संवितरक अधिकारी को प्रस्तुत किये जायें.

पेंशन की रकम रुपये ..... (शब्दों में) ..... प्रत्येक पृथक्

भुगतान संवितरक अधिकारी द्वारा नीचे अभिलिखित किया जायेगा:—

मास जिसके लिये पेंशन शोध्य है	19	19	19	19	टिप्पणियां
(1)	भुगतान की तारीख (2)	संवितरक अधिकारी के आद्याक्षर (3)	भुगतान की तारीख (4)	संवितरक अधिकारी के अद्याक्षर (5)	(6)
मार्च					
अप्रैल					
मई					
जून					
जुलाई					
अगस्त					
सितम्बर					
अक्टूबर					
नवम्बर					
दिसम्बर					
जनवरी					
फरवरी					

71  
के  
प्राप्त

शब्दों

भुगतान  
(रुपये)

पेंशन भोगी

स्थान

टिप्प

म. र.  
1976

प्ररूप "ग"  
(नियम 6 देखिये)

राज्य

मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6 के अधीन  
पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति का पेंशन देयक

पेंशन भुगतान आदेश क्रमांक .....

श्री/श्रीमती/कुमारो .....

जिला ..... लेखा का शीर्ष 266-पेंशन तथा सेवा निवृत्ति के अन्य फायदे. व्हाउचर क्रमांक .....  
तारीख .....

विधायकों,  
राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों की पेंशन.

उक्त अधिनियम की धारा 6-क के अधीन पेंशन के लिये हकदार व्यक्ति के रूप में माह ..... 199 .....  
के लिये मुझे शोध पेंशन की रकम रुपये .....  
1["कम कीजिये ..... माह ..... 19 .....  
के लिये मेरे पेंशन देयक के साथ प्ररूप "ड" में घोषणा के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 6-क की उपधारा (2) के अधीन मेरे द्वारा  
प्राप्त किये जाने वाला पारिश्रमिक .....]

रुपये .....

शुद्ध रकम .....

शब्दों में (रुपये .....

भुगतान प्राप्त हुआ.

भुगतान कीजिये रुपये .....  
(रुपये .....

खजाना अधिकारी

यदि रकम रुपये 500 से अधिक हो तो रसीदी  
टिकट लगाइये.

पेंशन भोगी का निवास स्थान

पेंशन भोगी के

हस्ताक्षर

तारीख

टिप्पणी.—प्ररूप "ड" में घोषणा प्रथम पेंशन देय तथा प्रत्येक वर्ष मई तथा नवम्बर मासों के लिये पेंशन देयकों के साथ प्रस्तुत  
की जानी चाहिये.

1. म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 3 जुलाई 1996, में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 1985-फा-एक-(2) 57-अड़तालीस-90-(सं. का.) दिनांक 3 जुलाई, 1996 द्वारा स्वतंत्र.

प्ररूप "घ"  
(नियम 6 देखिये)

प्रमाण-पत्र

जो कि पेंशन भोगी द्वारा स्वयं उपस्थित न होने की दशा में दिया जायेगा

(किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय या राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी संसद मध्यप्रदेश विधान सभा के किसी आसीन सदस्य या मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड, जिल्द एक के नियम 363 में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जावे).

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भोगी श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को देखा है और यह कि वह इस तारीख को जीवित है. और देयक पर उसने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है.

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

तारीख .....

पदाभिधान .....

मुद्रा .....

- \* यहाँ केन्द्रीय सरकार के/राज्य सरकार के/स्थानीय प्राधिकारों के/ऐसे निगम, जिस पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के नियंत्रण के माध्यम से कोष का उल्लेख कीजिये।
1. म. प्र. राज्य (अभ्युत्पन्न) विभाग 8 जून 1996 में प्रकाशित अध्यापना क्रमांक 1385-फा-एक-(2) 57-अक्टूबर-90-(सं. 32) विभाग 3 जून 1996 द्वारा जारी।
  2. म. प्र. राज्य (अभ्युत्पन्न) विभाग 8 जून 1996 में प्रकाशित अध्यापना क्रमांक 1385-फा-एक-(2) 57 द्वारा जारी।

स्थान .....  
 तिथि .....

का पर धारण करना है/करती है या  
 का/की सदस्य है या में \*  
 के रूप में नियोजित है और ऐसे पर के धारक के  
 रूप में या ऐसा सदस्य होने या ऐसे नियोजित में होने के कारण में द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कुल  
 पारिश्रमिक रुपये है।

2] (चार) ]  
 1] (चार) ]

है: या  
 नहीं है या में ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिये अथवा हकदार नहीं  
 सरकार या ऐसी राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, के या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन बन पर नियोजित  
 में केन्द्रीय सरकार के या इस राज्य सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या किसी ऐसे निगम जिस पर केन्द्रीय

(दो) में राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की किसी विधान सभा या विधान परिषद या दिल्ली प्रशासन अधिनियम,  
 1966 (क्रमांक 19 सं. 1966) की धारा 3 के अधीन गठित की गई दिल्ली महानगर परिषद का/की सदस्य नहीं है:

(एक) में भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर के लिये निर्धारित नहीं हुआ है/नहीं हुई है या किसी राज्य के राज्यपाल के पर  
 पर या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पर पर नियुक्त नहीं हुआ है/नहीं हुई है: या  
 में घोषणा करना है/करती है कि—

(मध्यदेश विधान सभा सदस्य बनने, भला ल.प. चुनाव अधिनियम, 1972 की धारा 6-क के अधीन चुनाव के लिये हकदार व्यक्ति द्वारा उसके  
 प्रथम चुनाव देखक के साथ तथा तत्पश्चात् वर्ष में दो बार अर्थात् में तथा नवम्बर मासों में प्रस्तुत किया जाय)

प्रमाण 'द'  
 (दिनांक 7 मई 2007)